संख्या: 3026 / 79-6-2009

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 दिसम्बर ,2009

विषय: प्रदेश के शासकीय,परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 केन्द्रों में परिवर्तन लागत की दर में वृद्धि एवं रसोइयों हेतु मानदेय की पृथक व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के शासकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत दिए जा रहे भोजन की परिवर्तन लागत वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों हेतु रू0 2.50 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु रू0 3.00 प्रतिछात्र प्रतिदिन निर्धारित थी। इस लागत मे रसोइये का मानदेय भी शामिल था। भारत सरकार के पत्र दिनांक 24-11-2009 द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन का नवीन मानक निर्धारित करने के साथ परिवर्तन लागत की दर में वृद्धि करते हुए रसोइया-सह-सहयोगी (कुक कम हेल्पर) के लिएं पृथक से मानदेय की व्यवस्था की गयी है।

2. भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन का नवीन मानक निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-

क्रमांक	सामग्री	प्रति छात्र प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाली मात्रा	
		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथ0 स्तर
1.	खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दाल	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जियां (पत्तेदार सहित)	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	तेल एवं वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	नमक एवं मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजना के संशोधित मानकों एवं दरों के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों हेतु मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन निम्नानुसार किए जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों हेतु परिवर्तन लागत क्रमशः रू0 2.50 एवं रू0 3.75 प्रतिछात्र प्रतिदिन होगी जो कि सकल रुप से खाद्य पदार्थ (यथा दाल, सब्जी, तेल एवं वसा, नमक एवं मसाले) परिवर्तन लागत एवं ईधन हेतु ही प्रयुक्त होगी। इसमें भारत सरकार से 75:25 की सहभागिता के आधार पर राज्यांश क्रमशः रू0 0.62 एवं रू0 0.94 प्रतिछात्र प्रतिदिन होगा । अतः सशोधित भोजन मानकों एव परिवर्तन लागत के आधार पर मध्यान्ह भोजन का पकाया जाना एवं वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

mdm/194

Apandey

(ख) दि0 01–04–2010 एवं दि0 1–04–2011 को केवल परिवर्तन लागत की उक्त दरों में पुनः 7.5 प्रतिशत की क्रमशः वृद्धि अनुमन्य होगी।

(ग) अब रसोइये को परिवर्तन लागत में से भुगतान नहीं किया जायेगा अपितु रसोइया–सह–सहयोगी (कुक कम हेल्पर) को स्कूल दिवसों हेतु ही खाना पकाने में संलग्न किया जायेगा एवं उनको रू0 1000/–प्रतिमाह प्रति रसोइया–सह–सहयोगी की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा जिसमें भारत सरकार से 75:25 की सहभागिता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला अंश रू0 250/–प्रति रसोइया होगा।

4– उपर्युक्त परिवर्तन लागत तथा रसोइयों के मानदेय की नवीन दर तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगी। इसका वहन चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत अब तक आवंटित परिवर्तन लागत की धनराशि से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं इस आदेश के जारी होने की तिथि से परिवर्तन लागत एवं रसोइये को मानदेय के रुप में किये गये भुगतान संबधी व्यय का लेखा जोखा अलग–अलग रखते हुए ही व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

5– मध्याह्न भोजन योजना हेतु निर्धारित नवीन भोजन मानकों, संशोधित परिवर्तन लागत एवं रसोइये को दिये जाने वाले मानदेय की दर से समस्त ग्राम पंचायतों/नगर निकायों/महिला समाख्या तथा स्वंय सहायता समूहों को जिलाधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा ताकि भोजन पकाये जाने की व्यवस्था इनके द्वारा ससमय सुनिश्चित की जा सके।

6– जिलाधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से योजना के नवीन मानकों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि नवीन मानकों के अनुसार बच्चों को भोजन उपलब्धता की समुचित जानकारी जनसामान्य को हो सके।

भवदीय,
(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव।

पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
3– सूचना निदेशक,उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि मध्यान्ह भोजन योजना के संबंध में की जा रही उपरोक्त व्यवस्था का प्रेस एवं मीडिया के विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।
4– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
5– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
7– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी,बेसिक शिक्षा,उत्तर प्रदेश।
8– राज्य परियोजना निदेशक,महिला समाख्या,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
10– नियोजन अनुभाग–4/वित्त (ई–11)/ बजट अनुभाग–2 अनुभाग उ0प्र0 शासन ।
11– वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
12– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव ।